



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/ 115-720/8171

रायपुर, दिनांक 31/12/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, न० ॥ रायपुर

छत्तीसगढ़

**विषय: - Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.**

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Road/27773/ 2017

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/ROCH-07/ 2021/ 283 दिनांक 29.09.2021
  2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-22/ 2019/ 10-2 दिनांक 07.10.2021
  3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 32/ 2021/ 3996 दिनांक 20.12.2021 = 0 =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। जिसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के संदर्भित पत्र -3 के माध्यम से शासन के प्रेक्षा अनुसार बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्तिबिन्दु	विवरण
(i)	Name of signing authorities has not been mentioned in Part-I.	प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भरे जाने वाले भाग-1 की मूल प्रति में नाम अंकित कर संलग्न है (संलग्नक-अ)।
(ii)	Part-IV is not submitted in Original.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित Part-IV की मूल प्रति संलग्न है (संलग्नक-ब)।
(iii)	Examination of compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, revealed that certificate issued by District Collector is not submitted in Original.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी की गई Form-I and II की मूल प्रति संलग्न है (संलग्नक-स)।
(iv)	User Agency has not been mentioned the district level Committee Consultation/ proceedings along with proposal.	गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण में आवेदक संस्थान का नाम उल्लेख उल्लेख कर प्रेक्षा अनुसार जानकारी संलग्न है (संलग्नक-द)

क्र.	आपत्तिबिन्दु	विवरण
(v)	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons of permanent (Direct and Indirect) and temporary (Direct and Indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार उपलब्धता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, कुशल/अकुशल कर्मचारियों की संख्या एवं आवश्यक मानव दिवस की प्रेषित जानकारी संलग्न है (संलग्नक-क)।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन अनुशांसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720/8/172

रायपुर/ दिनांक 31/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़